कमिश्नर वाणिज्य कर ,उत्तर प्रदेश

उपस्थितः- श्री दीपक कुमार ,कमिश्नर वाणिज्य कर , उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :- **सर्वश्री प्रभ दयाल ओमप्रकाश, 113 प्रकाश इण्ड0,साहिबाबाद,गाजियाबाद।**

प्रा0प0सं0- **344/2008**

प्रार्थी की ओर से- **श्री कपिल कुमार गर्ग,एडवोकेट ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008की धारा-59 के अर्न्तगतनिर्णय

I- प्रार्थी के द्वारा दिनांक 18-8-2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम,2008 की धारा-59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें **प्लास्टिक कन्टेनर (स्टोरेज टैंक)** पर कर की दर की जानकारी चाही गयी है।

2- धारा-59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री कपिल कुमार गर्ग,एडवोकेट उपस्थित हुयें व बताया उक्त फर्म प्लास्टिक कन्टेनर (स्टोरेज टैंक) की खरीद/बिक्री का कार्य करती है। इस कन्टेनर में पानी,अनाज,तेल व अन्य सामान को रखा जा सकता है। वैट अधिनियम की अनुसुची-2 के भाग-ग के कमांक-174 में अंकित प्रविष्टि में कन्टेनर शामिल है।सर्वश्री वर्षा इण्टर प्राइजेज गाजियाबाद (प्रार्थना पत्र संख्या- 94/08) में धारा-59 के अन्तर्गत दिया गया निर्णय दिनांक 12-3-08 में प्लास्टिक के कांटे एवं चम्मच पर other conveyance articles of plastic. जो वैट अधिनियम की अनुसुची-2 के भाग-क के कमांक-24 में अंकित प्रविष्टि में है, के अन्तर्गत 4 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है। प्लास्टिक कन्टेनर (स्टोरेज टैंक) भी other conveyance articles of plastic. के अन्तर्गत आते है । अतः इस पर 4प्रतिशत की दर से करदेयता होनी चाहिए ।

3- मैनें व्यापारी के धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों,विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्को का अवलोकन किया। सर्वश्री मैटाडोर फोम प्रा0लि0,कानपुर (प्रार्थना पत्र संख्या- 145/08) के वाद में धारा-59 के अन्तर्गत प्लास्टिक वाटर स्टोरेज टैंक वैट अधिनियम की अनुसुची 1,2,3व 4 में वर्गीकृत न होने के कारण अनुसुची-5 के अन्तर्गत 125 प्रतिशत की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है। प्लास्टिक कन्टेनर (स्टोरेज टैंक) वैट अधिनियम की अनुसुची 1,2,3व 4 में वर्गीकृत न होने के कारण अनुसुची-5 के अन्तर्गत 125 प्रतिशत की दर से करदेयता है।

4- प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

5- इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को तथा एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दिनांक :: 25 सितम्बर,2008

ह0/25-9-08

(दीपक कुमार)

कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश,लखनऊ।